डीजी परिपत्र संख्या- 50 /2024

प्रशान्त कुमार, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार
लखनऊ - 226002
फोन नं 0522-2724003 / 2390240 फैक्स नं 0522-2724009
सीयूजी नं 9454400101
ई-मेल police.up@nic.in
वेबसाईट https://uppolice.gov.in

दिनांक: लखनऊ: दिसम्बर 26, 2024

विषय- बीएनएसएस-2023 की धारा-173(4) में अपराध की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने से व्यथित व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना दिये जाने तथा तत्सम्बन्धी कार्यवाही हेतु वर्णित प्राविधानों के अनुपालनार्थ मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) का निर्धारण।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सभी अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नये आपराधिक कानूनों को दिनांक 01.07.2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है। प्रख्यापित नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-173(4) में अपराध की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने से व्यथित व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना दिये जाने तथा तत्सम्बन्धी कार्यवाही हेतु वर्णित प्राविधानों के कियात्मक अंश निम्नवत हैं:-

- कोई व्यक्ति, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार करने से व्यथित है ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी, कोई व्यथित मजिस्ट्रेट को धारा 175 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन कर सकेगा।

2. आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि बीएनएसएस–2023 की धारा–173(4) में वर्णित उपरोक्त प्राविधानों को भलीभॉति अध्ययन करके जनपद में एक कार्यशाला के माध्यम से वर्णित उपरोक्तॉकित प्राविधानों को अपने अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थानाध्यक्षों/विवेचनाधिकारियों को विस्तार से अवगत कराकर अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(प्रशान्त कुमार)

1.समस्त पुलिस आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2.समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.अपर पुलिस महानिदेशक(अभियोजन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।